

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-144 / 2023) / अलेसे-III / 9171

दिनांक:- 12/11/25

कार्यालय आदेश

श्री रवि कुमार पुरोहित, कनिष्ठ लेखाकार, रोल नं.-721769 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर के पत्र क्रमांक 891 दिनांक 13.10.2025 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-59 (3) के अनुसार पूर्व में स्वीकृत उपार्जित अवकाश के स्थान पर असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत करने हेतु राजस्थान सेवा नियम (प्रथम खण्ड) के ही नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के आधार पर निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

S.No	From	To	Days
1	10-06-2025	19-06-2025	10
2	14-07-2025	16-07-2025	03
3	11-08-2025	14-08-2025	04
Total			17 Days

उक्त 17 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री रवि कुमार पुरोहित, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। उपरोक्त स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक के लिए कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जाएगी। साथ ही कार्मिक को देय आगामी वेतन में से पूर्व में अधिक भुगतान किये गये वेतन-भत्तों की कटौती किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 12/11/25

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-144 / 2023) / अलेसे-III / 9171

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्री रवि कुमार पुरोहित, कनिष्ठ लेखाकार, रोल नं.-721769 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)